राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर.

1. अपील संख्या – 46/2013/उदयपुर
2. अपील संख्या – 47/2013/उदयपुर

मैसर्स बया सीमेन्ट सप्लार्यस, उदयपुर। .....अपीलार्थी.

बनाम

वाणिज्यिक कर अधिकारी,
वृत्त–बी, उदयपुर। ....प्रत्यर्थी.

खण्ड़पीठ
श्री जे.आर.लोहिया – सदस्य
श्री अमर सिंह – सदस्य

उपस्थित : :

श्री राकेश मेहता व
श्री लोकेश बावेल, अभिभाषक .....अपीलार्थी की ओर से.
श्री एन.एस.राठौड़,
उपराजकीय अभिभाषक .....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 20/01/2014

निर्णय

1. ये अपीलें उपायुक्त (प्रशासन), वाणिज्यिक कर विभाग, उदयपुर (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा जायेगा) के अपील संख्या 75 एवं 74/12–13/कर/उपा (प्र.उदयपुर) में राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **'वेट अधिनियम'** कहा जायेगा) की धारा 34 के तहत पारित किये गये पृथक–पृथक निर्णय दिनांक 12.10.2012 के विरूद्ध अधिनियम की धारा 83 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गयी है।

2. दोनों अपीलों में विवादित बिन्दु एकसमान होने एवं एक ही व्यवसायी से सम्बन्धित होने के कारण इनका निस्तारण एक ही निर्णय से किया जा रहा है। निर्णय की प्रति दोनों पत्रावली पर पृथक–पृथक रखी जा रही है।

3. **अपील संख्या 46/2013** में प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त–'बी', उदयपुर (जिसे आगे **'कर निर्धारण अधिकारी'** कहा जायेगा) द्वारा दिनांक 11.02.2010 को अपीलार्थी व्यवसायी का कर निर्धारण वर्ष 2007–08 का एकतरफा कर निर्धारण आदेश पारित करते हुए व्यवसायी के विरूद्ध कर 15,89,904/–, ब्याज 4,61,072/–, शास्ति 43,299/– कुल 20,94,275/– की मांग आरोपित की गई।

अपील संख्या 47/2013 में प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि **'कर निर्धारण अधिकारी'** द्वारा दिनांक 03.11.2010 को अपीलार्थी व्यवसायी का कर निर्धारण वर्ष 2008–09 का एकतरफा कर निर्धारण आदेश पारित करते हुए व्यवसायी के विरूद्ध कर 23,63,440/–, ब्याज 5,90,985/–, शास्ति 4,72,788/– कुल 34,27,713/– की मांग आरोपित की गई।

लगातार.....2

उपरोक्त आरोपित मांग व कर निर्धारण अधिकारी के इन एकतरफा आदेशों के विरूद्ध व्यवसायी द्वारा उपायुक्त (प्रशासन), उदयपुर के समक्ष अधिनियम की धारा 34 के अन्तर्गत पृथक–पृथक आवेदन पत्र प्रस्तुत करने पर, उपायुक्त (प्रशासन), उदयपुर ने पृथक–पृथक आदेश दिनांक 12.10.2012 के द्वारा व्यवसायी के उक्त प्रार्थना पत्रों को अस्वीकार कर दिया। उपायुक्त (प्रशासन), उदयपुर के इन आदेशों के विरूद्ध अपीलार्थी व्यवसायी द्वारा यह द्वितीय अपीलें पेश की हैं।

4. उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

5. बहस के दौरान अपीलार्थी की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने तर्क किया कि कर निर्धारण अधिकारी ने एकतरफा आदेश पारित करने से पूर्व व्यवसायी को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया है तथा एकपक्षीय आदेश पारित कर दिया गया तथा उपायुक्त (प्रशासन) द्वारा भी बिना किसी उचित कारण से उनकें आवेदन अन्तर्गत धारा 34 को अस्वीकार कर दिया। अतः अपीलें स्वीकार कर पुनः कर निर्धारण अधिकारी को इस निर्देश के साथ प्रकरण प्रतिप्रेषित किये जाये कि व्यवसायी को सुनकर आदेश पारित करे।

6. प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता ने व्यवसायी के अभिभाषक के तर्कों का खण्डन करते हुए कथन किया कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा व्यवसायी को नोटिस जारी किया है। नोटिस की सूचना के बाद भी व्यवसायी कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ है और न ही रिर्टन प्रस्तुत किये है चूंकि प्रकरण अवधिपार होने जा रहे थे अतः कर निर्धारण अधिकारी द्वारा सर्वोत्तम विवेक से एकपक्षीय आदेश पारित किये है जो उचित है। अतः अपीलें अस्वीकार की जाए।

6. दोनों पक्षों की बहस सुनने एवं रेकॉर्ड का अवलोकन करने के पश्चात् यह खण्ड़पीठ इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पृथक–पृथक आदेश दिनांक 11.02.2010 एवं दिनांक 03.11.2010 पृथक–पृथक वर्ष 2007–08 एवं 2008–09 आदेश पारित करते हुए व्यवसायी के विरूद्ध उपरोक्तानुसार कर, ब्याज व शास्ति की मांग आरोपित की है। कर निर्धारण अधिकारी के उक्त आदेशों को खोले जाने हेतु विरूद्ध अपीलार्थी व्यवसायी द्वारा उपायुक्त (प्रशासन), उदयपुर के समक्ष धारा 34 के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत करने पर, उपायुक्त (प्रशासन), उदयपुर ने आदेश दिनांक 12.10.2012 के द्वारा व्यवसायी के उक्त प्रार्थना पत्रों को अस्वीकार कर दिया। रिकॉर्ड की जांच से यह स्पष्ट है कि नोटिस पर तामीली अंकित है परन्तु यह स्पष्ट नहीं है कि उक्त नोटिस किसे तामील कराया गया है। जबकि व्यवहारी द्वारा नोटिस उसे तामील नहीं होने का तर्क दिया है। ऐसी स्थिति में यह मानने का पर्याप्त आधार है कि नोटिस व्यवहारी को तामील न होकर किसी अन्य व्यक्ति को तामील करा दिया गया हो। अतः प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के आधार पर अपीलार्थी को सुनवाई का

लगातार.....3

अवसर नहीं मिला है अतः व्यवसायी को समुचित अवसर दिया जाना उचित होगा। उपायुक्त (प्रशासन) ने भी कर निर्धारण अधिकारी के आदेशों को यथावत रखते हुए, व्यवसायी के प्रार्थना पत्रों को अस्वीकार कर दिया है। अतः अपीलार्थी व्यवसायी के धारा 34 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए, प्रकरण पुनः कर निर्धारण अधिकारी को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किये जाते है कि कर निर्धारण अधिकारी अपीलार्थी व्यवसायी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए नियमानुसार विधिक आदेश पारित करें।

7. फलतः अपीलार्थी व्यवसायी की अपीलें स्वीकार कर, प्रकरण उपरोक्त निर्देशानसुार कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किये जाते हैं। अपीलार्थी व्यवसायी को भी यह निर्देश दिये जाते है कि वे दिनांक 28.02.2014 को अपना पक्ष रखते हुए कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष उपस्थित हो।

निर्णय सुनाया गया।

20-1-14

(अमर सिंह)
सदस्य

(जे.आर.लोहिया)
सदस्य
20/01/14